बागवानी फसलों के लिए एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 35% सब्सिडी उपलब्ध

वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल कटाई के बाद प्रबंधन सहित विभिन्न योजनाएं चला रहा है। बोर्ड घटक प्रणाली और एकल परियोजनाओं, दोनों, में बागवानी फसलों के लिए अनुमोदित एकीकृत कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं पर सब्सिडी की पेशकश कर रहा है।

एन एच बी पैक हाउस, राइपनिंग चेंबर, रेफ्रिजरेटेड वैन, खुदरा दुकान, प्री-कूलिंग इकाई और प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाएं चला रहा है। प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सब्सिडी की पात्र फसलें फल, सब्ज़ियां, फूल, सुगंधित पौधे और काजू हैं।

सहायता का प्रतिरूप: 1.45 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना की कुल लागत का 35% या 50.75 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50% या 72.50 लाख रुपये, जो भी

कम हो, तक सीमित है। लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

उत्पादक, निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू) और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन परियोजना के लिए पात्रता और लागत मानदंड के बारे में विवरण एन एच बी की वेबसाइट http://www.nhb.gov.in पर दिया गया है।